

कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक।

विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्मालाखित शिक्षुओं के चयन को होना निश्चित हुआ है। जिसके लिये शिक्षुओं का विवरण निम्न प्रकार में है:-

क्र. सं.	पद का नाम	शिक्षुओं के रक्त पद
1.	MMV	10
2.	Electrician	09
3.	Diesel Mechanic	06
4.	Fitter	03
5.	Sheet Metal worker	02
6.	Carpainter	01
7.	Painter	01
8.	Plumber	01
9.	Steno (Hindi)	01
10.	Steno (Eng.)	01
	Total	35

इच्छुक शिक्षु अपने मूल दस्तावेज सहित महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन (नया बस अड्डा रोहतक) के कार्यालय में आयेंगे। जहां उनके मूल दस्तावेज चेक किये जाएंगे। इच्छुक प्रार्थी अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 28.12.2023 से 03.01.2024 तक ऑनलाइन करवा सकते हैं। दिनांक 28.12.2023 से पहले य दिनांक 03.01.2024 को रात्री 12 बजे के बाद किया गया रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। सफल शिक्षुओं को चयन आर्डर, टी. आर्ड के मार्कशीट को मौरिट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने उपरान्त कार्यालय द्वारा प्रशिक्षुओं को दस्तावेजों चेक करने हेतु दिनांक 05.01.2024 को बुलाया जाएगा। मूल दस्तावेज चेक करने उपरान्त सूचि अनुसार चयनित रिक्त पड़े पदों के विरुद्ध सफल प्रार्थियों को यथाशीघ्र शिक्षुता हेतु लगा लिया जाएगा। (www.appernticeshipindia.org)

Sd/- महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक

पी.आर.डी.एच-1119/11/444/2024/23725/88/6 दि. 27.12.23